न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2017-00171RAAJodhpur2017-71RTA223 Mangaram ors Vs Heera Devi etc

01. मांगाराम पुत्र आदूराम
02. चुनाराम पुत्र आदूराम
जातियान् जाट, निवासीगण- जैताणा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. हीरोदेवी पुत्री स्व. श्री लाबूराम एवं पत्नी स्व. श्री तेजाराम जाति जाट, निवासी- पलीना, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
2. लूणाराम पुत्र श्री चुनाराम
3. प्रेमाराम पुत्र श्री चुनाराम
4. मोहनराम पुत्र श्री चुनाराम
5. प्रभूराम पुत्र श्री चुनाराम
6. गोमदराम पुत्र श्री चुनाराम
7. ओमाराम पुत्र श्री चुनाराम
सभी जातियान् जाट, निवासीगण- रूपाणा-जैताणा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
8. शाखा प्रबंधक टी.ए.जी. बी शाखा छीला, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
9. श्रीमान् तहसीलदार फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 मई 2017 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 52/2014 हीरादेवी बनाम मांगाराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री सांवलराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री ओमप्रकाश गोदारा, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या एक

25.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो संख्या नौ

नि र्ण य

दिनांक : 25 जनवरी 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 52/2014 अनवान हीरादेवी बनाम मांगाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 मई 2017 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 08 अगस्त 2017 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील पेश करने मे हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 451 रकबा 118 बीघा 15 बिस्वा ग्राम पुराना राजस्व ग्राम आमला एव नवीन राजस्व ग्राम कल्याणपुरा तहसील फलोदी के संबंध में पेश कर वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट उनके पिता लाबूराम एवं प्रतिवादीगण संख्या एक व दो पिता आदूराम के नाम होने से उनकी पुश्तैनी भूमि होने के आधार पर खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 मई 2017 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पत्रावली को केम्प कोर्ट आमला में रखी जाकर अपीलांट्स को सुनवाई का

25.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है, जबकि पत्रावली को केम्प कोर्ट आमला में रखे जाने की सूचना बाबत अपीलांट्स को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय में वाद की सुंनवाई का नोटिस अपीलांट्स को प्राप्त होने पर वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तथा आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये तथा उसी दिन अधिवक्ता श्री एस.एस. चौहान को अपना अधिवक्ता नियुक्त किया, किंतु अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा पैरवी नहीं किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने की कार्यवाही कर दी गई। अपीलांट्स को एकतरफा कार्यवाही की जानकारी उनके अधिवक्ता को नहीं दी गई। इस प्रकार वकील की लापरवाही एवं सही ढंग से पैरवी नहीं करने के कारण भारी नुकसान हुआ एवं अपीलांट अनपढ है तथा अपीलांट ने कोई गलती नहीं की, वकील के विश्वास के कारण यह धोखाधड़ी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय का यह कर्तव्य था कि वह पत्रावली को लोक अदालत में रखे जाने की सूचना पक्षकारान् को देवे, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा भी अपीलांट्स को सूचित नहीं किया गया। यह उल्लेखनीय है कि लोक अदालत में केवल वे ही मामले रखे जाने है, जिनमें राजीनामा होने की संभावना हो। विचारण न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना व विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर आलौच्य निर्णय एवं डिक्री लोक अदालत में पारित की है। इस संबंध में 2018(1)आर.आर.टी. पेज 550 में माननीय राजस्व मण्डल ने यह मत प्रतिपादित किया है कि लोक अदालत में केवल लोक अदालत की भावना से राजीनामा के प्रकरण ही निस्तारित किये जा सकते है। मामले का गुणावगुण पर परीक्षण नही हो सकेगा। ऐसी स्थिति में आलौच्य निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त योग्य है। वादीनी द्वारा अपने वाद के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा जुबानी साक्ष्य नही दिया, जिससे साबित होता हो कि वादीनी लाबूराम की पुत्री हो,

25.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबकि इस तथ्य को निर्धारण दस्तावेजी साक्ष्य एवं गांव के पड़ौसियों की साक्ष्य से यह साबित कर सकता है। यह उल्लेखनीय है कि स्व. लाबूराम ने शादी ही नही की, इस कारण पुत्री होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 52/2014 अनवान हीरादेवी बनाम मांगाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 मई 2017 को खारिज फरमाया तथा मामला प्रतिप्रेषित किया जाकर विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जावे कि वह उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष को सुनकर विधि अनुसार वाद का निस्तारण करे।

प्रत्युतर में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने वादीनी/रेस्पोडेंट संख्या एक स्व. लाबूराम की जायंदा पुत्री है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स सम्मन की सम्यक तामील करवाये जाने पर वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, किंतु उसके पश्चात न तो अपीलांट्स विचारण न्यायलय के समक्ष उपस्थित हुए तथा न ही उनके द्वारा पैरवी की गई। इस कारण दिनांक 26.10.2015 को विचारण न्यायालय द्वारा इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही में अमल मे लायी गई। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि वादीनी स्व. लाबूराम की पुत्री नहीं हो। अपीलांट्स के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से उन्हे पुनः सम्मन जारी किये जाने की कानूनन आवश्यकता नहीं है। अपीलांट द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करवाने हेतु भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वादीनी स्व. लाबूराम की जायंदा पुत्री होने तथा वादग्रस्त आराजी वादीनी की पुश्तैनी

25.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भूमि होने से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, माननीय राजस्व मण्डल, मा. उच्च न्यायालय एवं मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित निर्णयों में म्याद के बिंदु को गौण मानते हुए पक्षकारान् के न्याय प्राप्ति के लिए म्याद के बिंदु को कण्डोन किया है। लिहाजा मामले का तकनीकी आधार पर निर्णय किये जाने के बजाय गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब पर नरम रुख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी बंदोबस्त ग्राम आमला तहसील फलोदी जिला जोधपुर सवतः 2012-2031 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 451 रकबा 118 बीघा 15 बिस्वा वक्त बंदोबस्त लाबु, आदू पि. सादूला कौम जाट गोदारा सा. लोहावट ब.हि.बराबर के नाम रही है। नामांतरकरण संख्या 245 दिनांक 17.10.85 के मुताबिक लाबूराम की फौतेदगी के 2 माह के समय, पुत्र नहीं होने से उनके सगे भाई आदूराम के नाम से नामांतकरण भरा जाना पाया जाता है, जबकि वादीनी स्व. लाबूराम की पुत्री होने से कानूनन वह स्व. लाबूराम की विधिक उतराधिकारी होने से वादग्रस्त आराजीयात में स्व. लाबरूम के हिस्से की उतराधिकारी ठहरती है। उल्लेखनीय है कि उक्त नामांतरकरण में

25.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

लाबू लाऔलाद फौत नहीं लिखा, अपितु उसके पुत्र नहीं होना दर्शाया गया है। ज्ञातव्य है कि पुत्र नहीं होने का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि कोई पुत्री भी नहीं हो।

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मन की सम्यक तामील उपरांत उनके द्वारा वाबजूद उपस्थिति के कोई चाराजोही नहीं किया जाना पाया जाता है। अपीलांट्स ने अपील स्तर पर कथन किया है कि स्व. लाबुराम ने शादी नहीं की, किंतु अपने कथनों की पुष्टि हेतु कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। धारा 99 सीपीसी के मुताबिक **कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणावगुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है न तो उलटी जाएगी और न उपांतरित की जाएगी।** इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में गुणावगुण पर कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 52/2014 अनवान हीरादेवी बनाम मांगाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 मई 2017 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.1.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2017-00171RAAJodhpur2017-71RTA223 Mangaram ors Vs Heera Devi etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
01. मांगाराम पुत्र आदूराम 02. चुनाराम पुत्र आदूराम जातियान् जाट, निवासीगण- जैताणा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।	ब ना म	1. हीरोदेवी पुत्री स्व. श्री लाबूराम एवं पत्नी स्व. श्री तेजाराम जाति जाट, निवासी- पलीना, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर। 2. लूणाराम पुत्र श्री चुनाराम 3. प्रेमाराम पुत्र श्री चुनाराम 4. मोहनराम पुत्र श्री चुनाराम 5. प्रभूराम पुत्र श्री चुनाराम 6. गोमदराम पुत्र श्री चुनाराम 7. ओमाराम पुत्र श्री चुनाराम सभी जातियान् जाट, निवासीगण- रूपाणा-जैताणा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर। 8. शाखा प्रबंधक टी.ए.जी. बी शाखा छीला, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर। श्रीमान् तहसीलदार फलोदी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 मई 2017 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 52/2014 हीरादेवी बनाम मांगाराम इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 25 जनवरी 2024 बहाजरी अधिवक्ता श्री सांवलराम चौधरी मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री ओमप्रकाश गोदाराम अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा

29-1-24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 52/2014 अनवान हीरादेवी बनाम मांगाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 मई 2017 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसव्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 25 जनवरी 2024 को जारी किया गया।

25.1.24
(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

25.1.24
(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर